**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2968**

**जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है।**

**.....**

**हिमालयी क्षेत्रों में पानी की कमी**

**2968. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल:**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हिमालय क्षेत्र में फसल क्षेत्र हिमनद से सिंचित होते हैं तथा घटते हिमपात एवं हिमनदों के कारण उक्त क्षेत्रों, विशेष रूप से लद्दाख में पानी की कमी हो जाती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार लद्दाख में भूजल सहित जल की कमी से निपटने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)**

(क) हिमालय क्षेत्र में आने वाले जम्मू और कश्मीर, लेह लद्दाख के संघ शासित प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा हिमाचल प्रदेश में आने वाले क्षेत्र फसल क्षेत्र मानसून की वर्षा के अलावा हिमपात तथा हिमनदों से सिंचित होते हैं। हिमालय से उदगम होने वाली नदियों के लिए हिमपात तथा हिमनद जल का सतत स्रोत होते है। हिमनदों में शीत ऋतू में हिमपात आता है और संग्रहित होता है तथा वे ग्रीष्म ऋतू में सतही प्रवाह, भूजल रिसाव आदि के द्वारा जल प्रदान करते हैं। हिमपात और हिमनदों का पिघलना एक प्राकृतिक क्रिया है हालांकि, उनके पिघलने से मिलने वाले जल की मात्रा समय और संबंधित क्षेत्र में उस समय के मौसम के कारण भिन्न-भिन्न होती है। इस समय, वैश्विक तापन के कारण हिमनद, संग्रहण की तुलना में अधिक तेजी से पिघल रहे हैं। चूंकि नदियों से निकलने वाले पानी के लिए पिघलते हुए हिमनद मुख्य स्रोत नहीं है अतः निकट भविष्य में पहाड़ी नदियों में जल की कमी की चिंता नहीं है।

(ख) और (ग) जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों की संवृद्धि, संरक्षण तथा कुशल प्रबंधन के लिए उपाय मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराती है।

जल शक्ति मंत्रालय ने देश में जल की गंभीर कमी से प्रभावित 256 जिलों में जल संरक्षण तथा जल सुरक्षा के लिए जल शक्ति अभियान (जेएसए) के नाम से एक अभियान आरंभ किया है। इस अभियान के दौरान, भारत सरकार के अधिकारी, भूजल विशेषज्ञ तथा वैज्ञानिक जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन के लिए सबसे अधिक गंभीर जिलों में राज्य तथा जिला अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। लद्दाख में, कारगिल जिले में जल शक्ति अभियान आरंभ किया गया।

केंद्रीय भूजल बोर्ड, जलभृतों (जल धारण करने वाले क्षेत्र) के मानचित्रण तथा भूजल संसाधनों के स्थायी विकास के लिए उनके स्वरूप चित्रण और जलभृत प्रबंधन योजनाओं को विकसित करने के लिए एक देश व्यापी "राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण तथा प्रबंधन (एनएक्यूयूआईएम)" कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। जलभृतों के इन मानचित्रों और प्रबंध योजनाओं को संबंधित राज्य सरकार के अभिकरणों के साथ साझा किया गया है। लद्दाख में, लेह तथा कारगिल जिलों में एनएक्यूयूआईएम कार्यक्रम आरंभ किया गया।

जल के गिरते हुए स्तर को नियंत्रित करने के लिए और वर्षा जल संचयन/संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई कुछ पहल/उपाय निम्न यूआरएल पर उपलब्ध हैं:-

http://mowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Jun2019.pdf

*****